रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 **REGISTERED NO. D. (D.N.) 127**

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 26, 1990/कार्तिक 4, 1912
No. 471] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 1990/KARTIKA 4, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1990

सा.का.नि. 871(अ):– केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) संशोधन विनियम 1990 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं.पी.आर.-12012/23/90-पी.ई. 1]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अनुसरण में कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल उक्त अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कांडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा प्रोन्नति) विनियम, 1964 में किए गए निम्नलिखित संशोधन विनियम को प्रकाशित करता है अर्थात्;–

1. ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1990 कहे जायेंगे।

2. विनियम 3(अ) में से "स्थायी रिक्ति पर" शब्द हटा दिये जायें।

3. विनियम 9 में से "रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए" शब्द हटा दिए जायें। विनियम 9 में नीचे दी गई व्याख्याएं जोड़ी जाएं:–

व्याख्या:

(1) किसी भी कर्मचारी के पूरे सेवाकाल के दौरान केवल एक बार ही स्थायीकरण किया जाएगा जो प्रविष्टि ग्रेड या पद पर होगा।

(2) उसे ग्रेड में स्थायी रिक्ति की उपलब्धता से स्थायीकरण का कोई सम्बन्ध न होगा।

4. विनियम 11(क) को निम्नलिखित के द्वारा प्रस्थापित करें:–

"11(क) स्थायी कर्मचारियों की वरिष्ठता"

स्थायी रूप से किसी ग्रेड या पद पर नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण उस ग्रेड या पद पर उनके स्थायीकरण के आधार पर किया जाएगा।

सचिव,
कांडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1990

G.S.R. 871(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employes (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012|23|90-PE. I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

In pursuance of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby publishes the following amendment regulations made by it in exercise of the powers conferred by Section 28 of the said Act, to the Kandla Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1964, namely :—

I. These regulations may be called the Kandla Port Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 1990.

II. Under regulation 3(j) the words "to a substantive vacancy" be deleted.

III. Under Regulation 9, the words "subject to availability of vacancy" be deleted. The following explanation be added below Regulation 9 :

EXPLANATIONS :

(i) Confirmation shall be made only once in the entire service of an employee, which will be in the entry grade or post.

(ii) Confirmation shall be delinked from the availability of permanent vacancy in the grade.

IV. Substitute Regulation 11(a) by the following : —

"11(a) Permanent employees seniority :

The seniority interse of person substantively appointed in a grade or post shall be determined on the basis of the order in which they are confirmed in the grade or post".

Sd.|-

Secretary,
Kandla Port Trust

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064 and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990